भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 58

दिनांक 02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) की सर्वेक्षण सूची

58. श्री मोहन मण्डावी:
श्री चुन्नी लाल साहु:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निराश्रित, विधवा, परित्यक्त और गरीब युवा महिलाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) की सर्वेक्षण सूची में जोड़कर उन्हें पेंशन प्रदान करने तथा सशक्त बनाने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उनकी पहचान कर तथा उन्हें बीपीएल की सवेक्षण सूची में जोड़कर कितनी महिलाओं को पेंशन तथा अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया तथा इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकार तथा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अन्तर्गत एक उप-स्कीम के अन्तर्गत 300.00 रूपए प्रतिमाह का मासिक पेंशन गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से संबंधित विधवाओं को दिया जाता है।

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अन्तर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या नीचे दी गई हैं:-

2018-19	2019-20	2020-21
1,57,955	1,76,601	1,83,076

(ग) इस संबंध में कोई नए दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

*****